प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,
योजना भवन, लखनऊ।

पत्रांक– 3880 /स0क0/शिक्षा–अ/7/597/2023–24

लखनऊः दिनांकः 06 दिसम्बर, 2023

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संशोधित समय–सारिणी जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–98/2023/3872/26–3–2023/C.N.–1396097 दिनांक 06–12–2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूर्वदशम (कक्षा 9–10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत संशोधित समय–सारिणी जारी की गयी है।

अतः शासनादेश दिनांक 06–12–2023 द्वारा जारी समय–सारिणी की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासन द्वारा जारी समय–सारिणी को छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के निर्देशानुसार यथा समय पोर्टल खोलने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त

भवदीय

06.12.2023

(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक
कृते निदेशक

संख्या-98 /2023/ 3872/26-3-2023/C.N.-1396097

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में मास्टर डाटा, आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु पुनः संशोधित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3825/स0क0/ शिक्षा-अ/2/597/2023-24 दिनांक 04.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) छात्रवृत्ति योजना में मास्टर डाटा, आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु पुनः संशोधित समय-सारिणी हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- छात्रवृत्ति पोर्टल का समुचित विकास एवं आवेदन के अन्तर्गत कई नवीन पेज के निर्माण, सिक्योरिटी आडिट के उपरांत पेज को पब्लिश करना व दिन-प्रतिदिन उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के निराकरण में अतिरिक्त समय लग रहा है। इस वर्ष छात्रवृत्ति योजना की नियमावली के अन्तर्गत कई वृहद संशोधन किये गये हैं। पोर्टल को एन0पी0सी0आई0 व डिजीलॉकर से इंटीग्रेट कराया गया है, जिसके क्रम में एन0आई0सी0 स्तर पर उक्त कार्यों के क्रियान्वयन में अत्यधिक समय लगा है। उक्त कारणों से हुए विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों के हित में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पुनः संशोधित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
1	2	3
	मास्टर डाटा	
1	**विद्यालय द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना** प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये आनलाइन आवेदन करने की कार्यवाही किया जाना, जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, तदोपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके प्रमाणित करना।	08 दिसम्बर 2023 से 11 दिसम्बर, 2023 तक
2	**जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी अधिकारिता में आने वाले समस्त विद्यालयों की मान्यता, स्वीकृत सीटों की संख्या एवं प्रोफाइल को आनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना।	15 दिसम्बर, 2023 तक
	कक्षा 9-10 के छात्र/छात्राओं हेतु आनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया	
3	**छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	02 जनवरी 2024 तक

AO
कृ. NIC, DSWO व अन्य को पत्र 2 A 4 5
6.12.2023
(सिद्धार्थ मिश्र)
सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति)
मुख्यालय

4	**<u>छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में</u>** छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
5	**<u>हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना</u>** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना।	06 जनवरी 2024 तक
6	**<u>विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u>** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का डाटा निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	15 जनवरी 2024 तक।
7	**<u>नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन</u>** छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण विद्यालय द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर विद्यालयों एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	21 नवम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक।
8	**<u>जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन करना</u>** सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 9-10 हेतु) द्वारा वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना।	20 फरवरी, 2024 तक
	भुगतान की प्रक्रिया	
9	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी</u>** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक
10	**<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</u>** सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	01 फरवरी से 05 फरवरी 2024 तक
11	**<u>छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना</u>** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	त्रुटियां संशोधन के पश्चात विलम्बतम 07 फरवरी 2024 तक
12	**<u>संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना</u>** त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	01 फरवरी से 09 फरवरी, 2024 तक
13	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u>** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0	10 फरवरी से 14 फरवरी, 2024 तक

	की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना। तदोपरान्त जनपदीय लागिन पर प्रदर्शित किया जाना।	
14	**जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	01 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक
15	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना।	04 मार्च 2024 तक
16	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाना।	10 मार्च, 2024 तक
17	अनुसूचित जाति के छात्रों को 60 प्रतिशत केन्द्रांश भुगतान हेतु भारत सरकार को डाटा शेयर किया जाना।	15 मार्च, 2024 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Digitally Signed by रजनीश चन्द्र
Date: 06-12-2023 17:19:09
Reason: Approved

पु0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।